

10/7/25

पत्रावली पेश हुई। वादी आदि. उज.। गरीबी में 2 व 4 की ललची हेतु कम्पन पेश नहीं। पत्रावली वास्तै गरीबी सं. 2 व 4 की ललची हेतु दिनांक 10/7/25 को पेश हो।

कोर्ट
10/7/25

3/4
11/7/25

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साक्षिक आदेश दिनांक 11/7/25 को पेश हो।

आजा से रीडर

11/7/25

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी आदि. अनु.। वादी एवं वादी आदि. उज. को निष्प्रमाणता की वार आवाने लगाई गई, परन्तु कोई उपार्कित नहीं आया। वादी एवं वादी आदि. उज. को अपाकर्षित में पुनः एकबार आवान लगाई गई, परन्तु कोई उपार्कित नहीं आया। वादी एवं वादी आदि. उज. के उपार्कित नहीं आये से वादी द्वारा उल्लेखित अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क एवं 188 शब्द-आत्म काबलकारी साक्षिद्वय की अदम लावनी अदम पौबी में खारिज किया जाता है। निराजि करे इजलास मुनाफा गाना। उड़ी प्रजा जादी ही।

पत्रावली में तल कुमार रीकर

तादील दफ्तर ही तला नम्बर से कम हो।

3/4
11/7/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. भगवान लाल पिता नन्दराम जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. रामलाल पिता नन्दराम जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. बद्री पिता प्यारा जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. किशन पिता प्यारा जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

-वादीगण

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. सचिव, ग्राम पंचायत दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज0)

- प्रतिवादीगण


दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत घौषणा इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 68/2015 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 11.07.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा